

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2715532

E-mail: rajsmsa.training@gmail.com

क्रमांक: रास्कूलशिप/जय/प्रशिक्षण/2020-21/ 15804

दिनांक: 12/10/2020

ऑनलाइन एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम – "NISHTHA" (National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement)

दिशा-निर्देश 2020-21

1. पृष्ठ भूमि :

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों में नवीन शैक्षणिक दृष्टिकोण (pedagogy) की समझ व कौशल विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह जरूरी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों को समय-समय पर प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। सीखना-सिखाना एक सतत् प्रक्रिया है, इसलिये शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान अपने विद्यार्थियों से भी सीखता है और विद्यालय में अपने साथियों से भी। पारस्परिक अधिगम के साथ-साथ नवाचारों की सहभागिता एवं व्यावसायिक योग्यता में निरंतर कुशलता, अभिवृद्धि करने का अवसर शिक्षक प्रशिक्षण में मिलता है। अतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से क्षमता संवर्धन हेतु शिक्षक एवं संस्थाप्रधानों के प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है।

2. परिचय एवं उद्देश्य :

शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीईआरटी नई दिल्ली के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा सत्र 2019-20 में एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम "NISHTHA" (National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement) संचालित किया गया। सत्र 2020-21 हेतु प्रथम चरण में प्रारम्भिक शिक्षा के शेष रहे 10590 शिक्षकों हेतु एवं द्वितीय चरण में माध्यमिक शिक्षा के 55099 शिक्षकों एवं 551 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है।

निष्ठा : संस्था प्रधानों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए एकीकृत पहल

"एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार" के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारम्भिक स्तर पर सभी शिक्षकों और संस्था प्रधानों की क्षमता का विकास करना है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य, जिला, ब्लॉक, क्लस्टर स्तर पर पदाधिकारियों को सीखने के प्रतिफलों, स्कूल आधारित मूल्यांकन, शिक्षार्थी- केन्द्रित शिक्षाशास्त्र, शिक्षा में नई पहल आदि के माध्यम से बच्चों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करते हुये एकीकृत तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस क्षमता संवर्धन की पहल के साथ प्रबोधन और सहायक तंत्र का भी उपयोग किया जाएगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं -

- संस्था प्रधानों और शिक्षकों की समग्र प्रगति हेतु एकीकृत पहल कर क्षमता संवर्धन करना।
- छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार।
- बालकेन्द्रित शिक्षण शास्त्र की समझ विकसित करना।
- बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन की गुणवत्ता हेतु साझा समझ विकसित करना।
- प्रभावी नेतृत्व हेतु हैड टीचर की नेतृत्व क्षमता का विकास करना।
- समावेशी कक्षा के वातावरण को सक्षम और समृद्ध बनाना।
- शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण निर्माण, काउन्सलिंग आदि से संबंधित क्षमताओं का विकास करना।
- विषयगत गतिविधि, दक्षता आधारित शिक्षण तथा आंकलन की पद्धतियों के बारे में शिक्षकों को अवगत कराना।

3. शिक्षकों का चयन व जिलेवार लक्ष्य :

PAB 2020-21 अनुसार सत्र 2019-20 में निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रशिक्षण से वंचित 10590 शिक्षकों हेतु ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा। शिक्षकों की सूची तैयार करने हेतु परिषद स्तर से जिलों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं एवं इनका डाटा बेस तैयार करने हेतु गूगल लिंक <http://bit.ly/nishthanames> के माध्यम से शिक्षकों का विवरण राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाना है। शिक्षकों की सूचना प्रेषित करते समय ध्यान रखा जावे कि ये वही शिक्षक हैं जो गत वर्ष निष्ठा प्रशिक्षण से वंचित रहे हैं।

जिलेवार लक्ष्य निम्नानुसार है -

S.No.	District/ Block	Grand Total
1	Ajmer	218
2	Alwar	772
3	Banswara	200
4	Baran	148
5	Barmer	525
6	Bharatpur	128
7	Bhilwara	558
8	Bikaner	341
9	Bundi	82
10	Chittorgarh	594
11	Churu	55
12	Dausa	207
13	Dholpur	131
14	Dungarpur	528
15	Hanumangarh	270
16	Jaipur	74
17	Jaisalmer	214
18	Jalore	291
19	Jhalawar	546
20	Jhunjhunu	10
21	Jodhpur	654
22	Karauli	184
23	Kota	304
24	Nagaur	212
25	Pali	737
26	Pratapgarh	131
27	Rajsamand	288
28	Sawai Madhopur	488
29	Sikar	173
30	Sirohi	565
31	Sri Ganganagar	180
32	Tonk	161
33	Udaipur	621
Grand Total		10590

4. प्रशिक्षण से पूर्व तैयारी :

- जिला एवं ब्लॉक स्तर पर 2-2 तकनीकी समन्वयक नियुक्त करना।
- गत वर्ष निष्ठा प्रशिक्षण से वंचित प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों का डाटा बेस तैयार करना एवं गूगल शीट पर अपडेट करना।
- राज्य स्तर से प्रेषित प्रशिक्षण का लिंक समस्त शिक्षकों तक पहुँचाना।
- एसआरजी को 1 : 250 के अनुपात में शिक्षकों के साथ मैप करना व ग्रुप में जोड़ना।
- विद्यालय स्तर तक ऑनलाइन निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों तक सूचना सम्प्रेषण व मॉनिटरिंग का समस्त दायित्व संयुक्त रूप से ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों का होगा।
- निष्ठा संबंधी समस्त पत्र व्यवहार निष्ठा हेतु तैयार मेल आई डी - rajasthan.nishtha@gmail.com पर किया जावें।

22

5. प्रशिक्षण का स्वरूप :

- ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण दीक्षा प्लेटफार्म के माध्यम से होगा। दीक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का ऑनलाइन प्लेटफार्म है जो शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए आकर्षक शिक्षण सामग्री प्रदान करता है और यह पोर्टल और मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है। यह शिक्षक प्रशिक्षण को प्रसारित करने के लिए सबसे उपयोगी प्लेटफार्मों में से एक है। वर्तमान में समस्त प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए दीक्षा का प्रयोग किया जा रहा है।
- प्रशिक्षण हेतु एनसीईआरटी द्वारा विभिन्न विषयों पर कुल 18 मॉड्यूल बनाये गये हैं जिन्हें आरएससीईआरटी द्वारा संदर्भ सामग्री के साथ तैयार कर दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा।
- समस्त मॉड्यूल हिन्दी भाषा में होंगे जिसमें मॉड्यूल की विषय वस्तु से संबंधित गतिविधियां व वीडियो भी शामिल होंगे। कुछ वीडियो अंग्रेजी भाषा में होंगे जो आसानी से समझ योग्य होगी।
- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतः ऑनलाइन है अतः प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े समस्त शिक्षकों द्वारा इस प्रशिक्षण में भाग लेना है। राशि का पुर्नभरण उन्हीं शिक्षकों को किया जावेगा जो गत वर्ष उक्त प्रशिक्षण से वंचित रहे हैं एवं जिसका जिलेवार लक्ष्य आवंटित किया गया है।
- शिक्षक पाठ्यक्रमों में स्वयं नामांकन करेंगे और निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण करेंगे। अतः समस्त संबंधित शिक्षकों को तदनुसार निर्देश जिला स्तर से प्रसारित किया जाना अपेक्षित है।
- प्रशिक्षण के हर मॉड्यूल को पूरा करने के लिए शिक्षकों को करीब 3-4 घण्टे की अवधि लगेगी।
- प्रत्येक 15 दिवस में 3 मॉड्यूल पूर्ण किये जाने हैं। 90 दिवस की अवधि में शिक्षकों को समस्त 18 मॉड्यूल पूर्ण करने होंगे। एनसीईआरटी द्वारा प्रशिक्षण पश्चात शिक्षक को प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।
- गत सत्र में राज्य स्तर पर निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण (प्रारंभिक) प्राप्त KRP एवं SRLP सत्र 2020-21 के शिक्षक प्रशिक्षण में मॉडर के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।
- ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन 16 अक्टूबर 2020 से प्रारम्भ किया जायेगा जिसका विस्तृत विवरण दिशा-निर्देशों में दिया गया है।
- निष्ठा प्रशिक्षण में निम्नांकित 18 मॉड्यूल प्रस्तावित है %
 - मॉड्यूल 1 – पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा।
 - मॉड्यूल 2 – सामाजिक-व्यक्तिगत योग्यता विकसित करना और विद्यालयों में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना।
 - मॉड्यूल 3 – स्कूलों में स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की गुणवत्ता।
 - मॉड्यूल 4 – शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में जेंडर को एकीकृत करना।
 - मॉड्यूल 5 – शिक्षण-अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का एकीकरण।
 - मॉड्यूल 6 – कला समावेशित अधिगम।
 - मॉड्यूल 7 – स्कूल आधारित मूल्यांकन।
 - मॉड्यूल 8 – पर्यावरण अध्ययन (प्राथमिक चरण) का शिक्षाशास्त्र।
 - मॉड्यूल 9 – गणित का शिक्षाशास्त्र।
 - मॉड्यूल 10 – सामाजिक विज्ञान का शिक्षाशास्त्र (उच्च प्राथमिक चरण)।
 - मॉड्यूल 11 – भाषाओं का शिक्षाशास्त्र।
 - मॉड्यूल 12 – विज्ञान का शिक्षाशास्त्र (उच्च प्राथमिक चरण)।
 - मॉड्यूल 13 – स्कूल नेतृत्व: अवधारणा एवं प्रयोग।
 - मॉड्यूल 14 – स्कूली शिक्षा में नवीन पहल।
 - मॉड्यूल 15 – प्री-स्कूल शिक्षा।
 - मॉड्यूल 16 – पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा।
 - मॉड्यूल 17 – कोविड-19 परिदृश्य: स्कूल शिक्षा में चुनौतियों को संबोधित करना।
 - मॉड्यूल 18 – पोस्को एक्ट-2020 एवं बाल यौन अपराध, बाल अधिकार के प्रति समझ।

6. प्रशिक्षण व्यय मानक :

- ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु जिलों को दिये गये लक्ष्य के विरुद्ध प्रति संभागी राशि रुपये 1000/- परिषद से जारी की जा रही है।

- राशि गत वर्ष निष्ठा प्रशिक्षण से वंचित रहे प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को ही पुर्नभरण आधार पर देय होगी। उक्त 1000/- की राशि में से पैनड्राइव (16GB) क्रय हेतु अधिकतम सीमा रु. 400/- एवं शेष राशि मोबाईल डाटा हेतु जारी की जा रही है।
- जिन जिलों में गत वर्ष निष्ठा प्रशिक्षण में बचत राशि दर्शायी गई है उन्हें राशि कटौती कर भेजी जा रही है।

7. प्रशिक्षण बजट आवंटन एवं व्यय समायोजन :

- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय, मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर एवं प्रबन्धन पोर्टल) में प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय को प्रत्येक उपमदवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्यों के विरुद्ध ही दर्शाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक गतिविधि के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध उसी गतिविधि के भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि की प्रविष्ट की जावें।
- जिले को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से अधिक समायोजन एवं प्रशिक्षण मानकों से अधिक व्यय नहीं किया जावे।

तकनीकी व्यवस्था :

- एनसीईआरटी एवं समस्त जिलों से संपर्क हेतु राज्य स्तर पर सार्वजनिक संचार प्रणाली तैयार की गई है। निष्ठा प्रशिक्षण हेतु rajasthan.nishtha@gmail.com पर ही समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार किया जावे।
- तकनीकी कार्यों हेतु गठित तकनीकी प्रभारियों के विस्तृत दायित्व परिषद के पत्रांक रा.स्कू.शि.प. /जय/Training/2020-21/15062 दिनांक 24.09.2020 के द्वारा परिभाषित किये गये हैं। अतः उक्तानुसार कार्यवाही की जावें।

8. प्रशिक्षण के चरण एवं तिथियाँ :

- प्रशिक्षण दो चरणों में आयोजित किया जाना है। प्रथम चरण में प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों एवं द्वितीय चरण में माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है।
- प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षण की संभावित तिथियाँ -

06 अक्टूबर 2020 से 15 अक्टूबर 2020	- शिक्षकों का दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। - एसआरजी का शिक्षकों के साथ मेटिंग। - शिक्षकों का निष्ठा प्रशिक्षण आमुखीकरण। - कोर्स प्रारंभ करने की पूर्व तैयारी।
16 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 3 कोर्स	- मॉड्यूल 1 - पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा। - मॉड्यूल 2 - सामाजिक-व्यक्तिगत योग्यता विकसित करना और विद्यालयों में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना। - मॉड्यूल 3-स्कूलों में स्वास्थ्य और बेहतर जीवन गुणवत्ता।
01 नवम्बर 2020 से 15 नवम्बर 2020 3 कोर्स	- मॉड्यूल 4 - शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में जेंडर को एकीकृत करना। - मॉड्यूल 5 - शिक्षण-अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी का एकीकरण। - मॉड्यूल 6 - कला समावेशित अधिगम।
16 नवम्बर 2020 से 30 नवम्बर 2020 3 कोर्स	- मॉड्यूल 7 - स्कूल आधारित मूल्यांकन। - मॉड्यूल 8 - पर्यावरण अध्ययन (प्राथमिक चरण) का शिक्षाशास्त्र। - मॉड्यूल 9 - गणित का शिक्षाशास्त्र।
01 दिसम्बर 2020 से 15 दिसम्बर 2020 3 कोर्स	- मॉड्यूल 10 - सामाजिक विज्ञान का शिक्षाशास्त्र (उच्च प्राथमिक चरण)। - मॉड्यूल 11 - भाषाओं का शिक्षाशास्त्र।

	मॉड्यूल 12 – विज्ञान का शिक्षाशास्त्र (उच्च प्राथमिक चरण)।
16 दिसम्बर 2020 से 30 दिसम्बर 2020 3 कोर्स	- मॉड्यूल 13 – स्कूल नेतृत्व: अवधारणा एवं प्रयोग। - मॉड्यूल 14 – स्कूली शिक्षा में नवीन पहल। - मॉड्यूल 15 – प्री-स्कूल शिक्षा।
01 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2021 3 कोर्स	- मॉड्यूल 16 – पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा। - मॉड्यूल 17 – कोविड-19 परिदृश्य: स्कूल शिक्षा में चुनौतियों को संबाधित करना। - मॉड्यूल 18 – पोस्को एक्ट-2020 एवं बाल यौन अपराध, बाल अधिकार के प्रति समझ।

जिला एवं ब्लॉक स्तरीय मॉनिटरिंग एवं अभिलेख संधारण :

- शिक्षकों को निर्देशित करे कि वे शाला दर्पण में अपने शिक्षक लॉगिन कर के फिर निष्ठा कोर्स को दीक्षा से करें। अगर शाला दर्पण से लॉगिन नहीं करेंगे तो प्रमाण-पत्र नहीं मिलेगा।
- शिक्षकों के जिले व ब्लॉकवार व्हाट्स ऐप ग्रुप बनाये जायें जिससे प्रशिक्षण की जानकारी साझा की जा सके।
- जिले के SRG को भी ग्रुप में जोड़ा जाये जिससे वे शिक्षकों को अकादमिक संबलन प्रदान कर सकें।
- तकनीकी समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि –
 - कोर्स की जानकारी हर एक शिक्षक तक पहुँच गई है।
 - शिक्षकों ने कैलेंडर के अनुसार कोर्स में स्वयं नामांकन किया है।
 - निष्ठा से सम्बन्धित सूचनाओं को शिक्षक ग्रुप में साझा किया गया जा रहा है।
 - शिक्षकों के सामने यदि तकनीकी समस्या आती है तो उन्हें हल किया जा रहा है एवं आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय तकनीकी समन्वयक से सम्पर्क किया जा रहा है।
- प्रत्येक मॉड्यूल को पूर्ण करने वाले शिक्षक संभागियों की प्रगति का निम्न प्रारूप में संधारण किया जावेगा –

जिले का नाम

ब्लॉक की संख्या	शिक्षकों की लक्ष्य संख्या	प्रशिक्षण मॉड्यूल पूर्ण कर चुके शिक्षकों की संख्या			
		1	2	3	
कुल योग					

9. नियंत्रण कक्ष की स्थापना :

- प्रशिक्षण संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान, मॉनिटरिंग एवं समस्याओं के निराकरण हेतु जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक समसा कार्यालय तथा सीबीईओ कार्यालय में (ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु) प्रशिक्षण अवधि में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जावे जो प्रशिक्षण कैलेंडर के दौरान कार्य करेगा।
- प्रत्येक माह के अन्त में प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा निम्नांकित सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित करनी होगी –
 - प्रत्येक कोर्स में नामांकित शिक्षकों की कुल संख्या एवं जिला स्तर पर कोर्सवार शिक्षकों की संख्या।
 - प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चुके शिक्षकों की कुल संख्या – कोर्स अनुसार।

(नोट : सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोविड-19 हेतु जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्यतः की जाए)

12.10.20
(एम.आर.बगड़िया)

अति० राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम

क्रमांक: रास्कूलशिप/जय/प्रशिक्षण/2020-21/ 15804

दिनांक: 12/10/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय राज. बीकानेर।
4. निजी सहायक, निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक- प्रथम/द्वितीय समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
7. जिला प्रभारी, समस्त जिले, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
9. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
11. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त पंचायत।
12. कार्यालय प्रति।

Ady 12.10.20
उपायुक्त-द्वितीय